कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

—: आदेश :—

क्रमांक / 4039 / कोरोना सेल / 2020

रायगढ़, दिनांक 06 / 05 / 2020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला रायगढ़ को कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण एवं प्रसार के रोकथाम के संदर्भ में "ग्रीन जोन" में वर्गीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-1(A) दिनांक 01 मई, 2020 में दिये गये निर्देश / गाईड लाईन के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3679 / कोरोना सेल / 2020, दिनांक 03–05–2020 द्वारा अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में रायगढ़ जिला अन्तर्गत "पान दुकान" एवं "सेलून / नाई दुकान" को प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग / फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50% कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है :–

1– सेलून / नाई दुकान संचालन हेतु शर्ते :–

(1) दुकान में सेनिटाईजर / हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
(2) सोशल डिस्टेसिंग / फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
(3) सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग / बाल कटिंग के पश्चात् कैंची, अस्तुरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।
(4) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
(5) दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा।
(6) बाल कटिंग / सेविंग / डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल / कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।
(7) किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सेलून संचालक जिम्मेदार होंगे।

2– पान दुकान / पान ठेला हेतु शर्ते :–

(1) ठेले में सेनिटाईजर / हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
(2) सोशल डिस्टेसिंग / फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
(3) दुकान / ठेले में तम्बाकु युक्त (सिगरेट, गुड़ाखु, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीड़ी) कोई भी पदार्थ नहीं रखा जावेगा और न हीं विक्रय किया जावेगा।
(4) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
(5) दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा।
(6) किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान दुकान / ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे।

3– जिले / क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देशा पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी।

4– उपरोक्त शर्तो तथा शासन के दिशा–निर्देश / एडवायजरी / आदेश की शर्तो का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

उपरोक्त आदेश एवं निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

कृ.प.उ. 1/2

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 4035 A / कोरोना सेल / 2020

प्रतिलिपि :–

रायगढ़, दिनांक 06 / 05 / 2020

1– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2– सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3– सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4– सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

––की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर
7– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ जिला
10– सर्व तहसीलदार जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

––की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

11– उप संचालक, जनसम्पर्क रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

Scanned with CamScanner